कार्यालय जिलाधिकारी,बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19 / 2021 370 दिनांकः06 मई 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः 548 / पॉच–5–2020, दिनांकः14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के कम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (सप्तम् संसोधन) दिनांकः 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांकः 30 जून 2021 तक या जब तक अगेत्तर आदेश नही दिये जाते है, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

कतिपय स्तरों से यह तथ्य संज्ञान में लाया जा रहा है कि चिकित्सालयों एवं चिकित्सालयों के बाहर अनाधिकृत रूप से संचालित एम्बुलेन्स / शव वाहनों द्वारा कोविड ग्रसित व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उनकें परिजनों से शव को उनके घरों / दाहसंस्कार स्थल तक ले जाने हेतु अनुचित रूप से अत्याधिक धनराशि की मॉग करते है, शोकाकुल परिजनों से ऐसी विषम परिस्थितियों में इस प्रकार का कृत्य घोर निन्दनीय एवं अमानवीय है।

जिला प्रशासन बाराबंकी द्वारा कोविड ग्रसित मरीजों की मृत्यु की दशा में उनके घर / दाहसंस्कार स्थल तक लेने जाने हेतु निःशुल्क व्यवस्था प्रदान की जाती रही है।

अतएव सभी कोविड चिकित्सालयों को निर्देशित किया जाता है कि कोविड ग्रसित मरीजों की मृत्यु होने की दशा में एकीकृत कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर बाराबंकी के दूरभाष संख्या– **05248–224849, 05248–229926, 229916 एवं मोबाईल नम्बर 9569528403** पर सूचित करेगें ताकि शोककुल परिजनों को तत्काल शव वाहन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके।

यदि किसी भी स्तर पर पुनः इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है कि शोकाकुल परिजनों से शव के परिवहन हेतु अनैतिक धनराशि की मॉग की जाती है तो संबधित कोविड चिकित्सालय / व्यक्तियों के विरूद्व आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जायेगी।

श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ फाईलेरिया निरीक्षक को इस निर्देश के साथ कि समस्त कोविड चिकित्सालयों से समन्वय स्थापित करते हुए शोककुल परिजनों को जनपद बाराबंकी की सीमा में निःशुल्क शव वाहन समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड–19 (कोरोना वायरस) सकंमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

(डा0आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।
दिनांकित।

संख्याः कोविड–19 / 2020 7020

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित–:

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को इस आशय से कि चिकित्सालयों के बाहर खड़े अनाधिकृत शव वाहनों / एम्बुलेन्स के विरूद्व उपरोक्त के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,बाराबंकी।
5. उप जिला अधिकारी, बाराबंकी नवाबगंज बाराबंकी
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय बाराबंकी को इस निर्देश के साथ कि चिकित्सालय में कोविड ग्रसित मरीजों की मृत्यु होने की दशा में निःशुल्क शव वाहन उपलब्ध कराये, साथ ही कमान्ड सेन्टर की मॉग पर भी अपने चिकित्सालय का शव वाहन मय वाहन चालक एवं पी0ओ0एल0 तत्काल उपलब्ध करायें।
7. श्री के0के0गुप्ता, वरिष्ठ फाईलेरिया निरीक्षक, बाराबंकी।
8. डीन / प्रधानाचार्य / प्रबन्धक, समस्त कोविड चिकित्सालय जनपद बाराबंकी।
9. प्रभारी अधिकारी एकीकृत कोविड कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर बाराबंकी
10. श्री रावेन्द्र वर्मा, प्रधान सहायक को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
11. जिला सूचना अधिकारी बाराबंकी को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिलाधिकारी
बाराबंकी